न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 60 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. भैराराम पुत्र श्री खेराजराम 2. श्रीमती गैरोदेवी धर्मपत्नी श्री खेराजराम 3. हेमाराम पुत्र श्री जवाराराम 4. श्रीमती हरखु देवी धर्मपत्नी श्री जवाराराम 5. देवीलाल पुत्र श्री गोमाराम 6. श्रीमती नेनु देवी धर्मपत्नी श्री गोमाराम कौम जाट निवासी खरथोणियों का तला (कानोड़) तहसील गिड़ा जिला बालोतरा		1. उदाराम पुत्र श्री रूपाराम 2. मगाराम पुत्र श्री कुम्भाराम 3. रूगाराम पुत्र श्री कुम्भाराम 4. भोमाराम पुत्र श्री जवाराराम 5. मूलाराम पुत्र श्री मुकनाराम 6. देराजराम पुत्र श्री मुकनाराम 7. चुनाराम पुत्र श्री हरखाराम कौम जाट निवासी खराथोणियों का तला (कानोड़) तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 8. श्री शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बालोतरा 9. श्री तहसीलदार गिड़ा जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13 / 2025 बउनवान लक्षमणाराम के कायम मुकाम वगैरा बनाम जोधाराम वगैरा उदाराम वगैरह बनाम देराजराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रमेश माकड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—30.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था। मौजा खरथोणियों का तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 855/665, 857/665, 658, 664, 858/659, 860/659 में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण एवं उत्तरदातागण 4 ता 7 एवं निर्णय के शीर्षक में वर्णित विप्रार्थी संख्या 8 श्रीमती भूरी देवी धर्मपत्नी श्री हरखाराम के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारी के खेत खसरा संख्या 647 रकबा 18.1461 हैक्टेयर में से पाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण के खातेदारी का खेत दो भागों में विभक्त किया गया। अपीलांटगण ग्रामीण व गरीब व्यक्ति है अपीलाधीन आदेश के जरिये जबरन उसके हक–हकुकों को प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर उत्तरदातागण नष्ट करने को आमादा है। अपीलाधीन निर्णय विप्रार्थी संख्या 08 श्रीमती भूरीदेवी मृतक के विरूद्ध पारित किया गया। प्रार्थीगण के लिऐ आने–जाने हेतु अन्य वैकल्पि रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उसके उपरांत भी श्रीमान न्यायालय द्वारा मेरे खातेदारी में से रास्ता दिया जाता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया जिससे अपीलांटस के उपभोग एवं उपयोग में बाधा कारित हो रही है। अपीलांटस अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि यदि न्यायालय अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से रास्ता देता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जावे। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 13/2025 बउनवान लक्षमणाराम के कायम मुकाम वगैरा बनाम जोधाराम वगैरा उदाराम वगैरह बनाम देराजराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव अपीलांटस की खातेदारी भूमि के टुकड़े नहीं किये जावे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.07.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण का अधिकतम दो माह में निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

30/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर